

क्रमांक:- आरडीडी- ।।- ।।-333 / 2018 (बड़)
हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

४८५७-४९५९

प्रेषक

सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

1. समस्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
हिमाचल प्रदेश
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी,
पंचायत समिति हिमाचल प्रदेश।

दिनांक:- शिमला-171009

१० जुलाई 2018.

विषय:-
महोदय / महोदया,

मुख्यमन्त्री लोक भवन योजना।

वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि राज्य में ऐसे सामुदायिक भवनों की आवश्यकता है जिसमें एक बड़ा हॉल हो ताकि विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम उसमें सम्पन्न हो सकें। अतः एक नई योजना “मुख्यमन्त्री लोक भवन” शुरू करने की घोषणा की गई। जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मु0 30.00 लाख रु0 की लागत से एक सामुदायिक भवन 2 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। विधानसभा सदस्य व माननीय संसद सदस्य अपनी निधि से इसे और बड़ा करवा सकते हैं। यह भी घोषणा की गई कि यदि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में एक या दो अतिरिक्त सामुदायिक भवन बनवाना चाहते हैं तो उनकी निधि के मु0 15 लाख रु0 पर सरकार द्वारा भी मु0 15 लाख रु0 दिए जाएंगे। इस योजना के लिए मु0 12 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके तथा प्रचार-प्रसार किया जाए तथा इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाये, इसके लिए विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 जून 2018 की प्रति सभी ग्राम पंचायतों को प्रेषित किया जाए तथा योजना का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

क्योंकि यह एक बजट आश्वासन है तथा इस योजना के अन्तर्गत सहायता/धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से उपलब्ध करवाई जाएगी जिसकी समीक्षा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा स्वयं समय-समय पर की जाएगी। अतः यह आवश्यक है कि योजना का निष्पादन/कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाए तथा इसमें पारदर्शिता एवं गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाये।

योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु धनराशि अलग से निर्मुक्त की जा रही है जिसे अलग खाते में रखा जाए तथा योजना के अन्तर्गत प्रगति का ब्यौरा भी विभाग को प्रेषित करें।

भवदीय,

(राकेश कवर, भा.प्र.से.)
विशेष सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार

All E/A/ACH/89

८/५/१८

Item No
23/2018-19

हिमाचल प्रदेश सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या —आर0डी0डी0-II-I-333/2018-(बड)-

दिनांक शिमला—2

30.06.2018

अधिसूचना

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश एक नई "मुख्यमंत्री लोक भवन" योजना को वर्ष 2018-19 में प्रदेश में लागू करने के लिए योजना से सम्बंधित निम्नलिखित दिशा निर्देशों की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संख्या	विशेषताएं / विवरण	दिशा निर्देश
1.	योजना का नाम	इस योजना को "मुख्यमंत्री लोक भवन" के नाम से कियान्वित किया जाएगा।
2	योजना की विशेषता	प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन का निर्माण भूमि चयन के बाद 02 वर्ष में पूरा किया जाएगा तथा इस योजना के अन्तर्गत भवन में एक बड़ा हाल होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम सम्पन्न होंगे। माननीय संसद सदस्य व विधानसभा सदस्य अपनी निधि से इसे और बड़ा करवा सकते हैं।
3.	योजना का उद्देश्य	(क). किसी भी व्यावसायिक (Commercial) गतिविधियों के लिए। (ख). गैर सरकारी संगठन व स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री के लिए। (ग). सरकार के विभिन्न विभागों की कार्यशाला एवं शिविर का आयोजन। (घ). विधार्थियों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियां। (ड). लोगों के विशेष समूहों के लिए गतिविधि और प्रदर्शन। (च). किसी भी धार्मिक संस्था तथा राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली कार्यशाला एवं शिविर हेतु भवन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
4.	लोक भवन का	<p>(i) भूमि का चयन:-</p> <p>(क). भूमि का चयन सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा माननीय विधानसभा सदस्य के अनुमोदन अनुसार किया जाएगा। (ख). लोक भवन निर्माण हेतु लगभग 2 बीघा सार्वजनिक/सरकारी भूमि होनी चाहिए जिस पर किसी प्रकार का विवाद न हो अथवा भवन का निर्माण निजी भूमि पर भी किया जा सकता है जिसे सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था द्वारा उपहार/दान स्वरूप ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम हस्तांतरित किया गया हो। (ग). प्रयत्न यह रहेगा कि भूमि समतल बनाने में कम से कम व्यय हो। (घ). भूमि सड़क के नजदीक हो ताकि निर्माण सामग्री पर होने वाला ढूलाई व्यय कम हो।</p> <p>(ii) भवन का ढांचा:-</p> <p>(क). हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लोक भवन का</p>

Adm JE (S) | Adm | 80
100
26/06/18
Discussed in Panchayat meeting
At 26/06/2018
File No. 45/V.

निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ मण्डल स्तर पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा भवन के मान दण्ड (Standard Design) तैयार किया जाएगा जिसमें बिजली, पानी, शौचालय, रसोई इत्यादि का प्रावधान हो।

- (ख). निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय तकनीकी विंग द्वारा किया जाएगा।
- (ग). निर्माण कार्य का अनुश्रवण समय—समय पर सम्बन्धित अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (घ). निर्माण कार्य 02 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाएगा।

(iii) धनराशि का वितरण:-

- (क). योजना के अन्तर्गत लोक भवन निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मु0 30 लाख रु0 की राशि स्वीकृत की जाएगी जिसे दो किश्तों में सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/ कार्य निष्पादक (work executer) को वितरण किया जाएगा। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से तात्पर्य है कि लोक भवन जिस ग्राम पंचायत में निर्मित है, वह ग्राम पंचायत उस खण्ड विकास अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आती हो।
- प्रथम किश्तः— मु0 20 लाख रु0 निर्माण कार्य आरम्भ होने पर दी जाएगी।
 - दूसरी व अन्तिम किश्तः—मु0 10 लाख रु0 निर्माण कार्य पूर्ण होने पर दी जाएगी।

(iv) भवन का रख रखावः—

- (क). प्रदेश में अधिकांश पंचायत समितियां हैं जिनके पास आय का कोई भी साधन नहीं है इसलिए भवन के रख रखाव का जिम्मा सम्बन्धित पंचायत समिति को दिया जाएगा।
- (ख). यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक पंचायत समितियां आती हों तो उस स्थिति में जिस पंचायत समिति का अधिक क्षेत्रफल लोक भवन (विधानसभा क्षेत्र) के दायरे में आएगा उसी पंचायत समिति को रख रखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
- (ग). लोक भवन से शुल्क के रूप में प्राप्त आय से सम्बन्धित पंचायत समिति लोक भवन में स्थापित बिजली, पानी व अन्य कर/बिलों इत्यादि का भुगतान करेगी।
- (घ). लोक भवन की मुरम्मत/ रख रखाव का कार्य सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा अपनी आय से किया जाएगा।

	मुरम्मत/रख रखाव हेतु राज्य सरकार का दायित्व नहीं होगा।
	<p>(v) भवन से प्राप्त शुल्क/फीस निर्धारण:-</p> <p>(क). निर्मित भवन सामाजिक, सांस्कृतिक समारोह हेतु प्रदान किए जाने बारे फीस/शुल्क का निर्धारण हेतु पंचायत समिति सक्षम होगी।</p> <p>(ख). लोक भवन के प्रयोग हेतु लगाए जाने वाला शुल्क पंचायत समिति की निधि होगी उस निधि से भवन के रख-रखाव पर व्यय किया जाएगा। जिसका पूर्ण अभिलेख सम्बन्धित पंचायत निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा तैयार किया जाएगा। लोक भवन का निर्माण स्थानीय लोगों की सुविधाओं के लिए किया जाएगा।</p>

आदेश द्वारा

सचिव (ग्रामीण विकास)

हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

३८६९-५०८३

पृष्ठाकंन संख्या—आर०डी०डी०-II-I-333/2018-(बड)- दिनांक शिमला -09 30 जून-2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ एंवम आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति० मुख्य सचिव योजना एंव वित हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-02
2. समस्त उपायुक्त एंवम मुख्य कार्याकारी अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हि० प्र०।
3. समस्त परियोजना निदेशक ग्रामीण विकास अभिकरण हि० प्र०।
4. समस्त उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)
5. समस्त उप निदेशक एंवम परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हि० प्र०।
6. समस्त अधिशासी अभियंता (विकास) हि० प्र०।
7. समस्त सहायक अभियंता (विकास) हि० प्र०।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एंवम कार्याकारी अधिकारी पंचायत समिति हि० प्र०।
9. रक्षक नस्ति।

(राकेश कवर, भा.प्र.से.)

विशेष सचिव (ग्रा० वि०)

हि० प्र० सरकार शिमला-09

पूँछोंका संरक्षा

प्रियोंका-

छोटेलीप

समस्त पंचायत सचिव लि. एवं सोलग वा
उपरोक्त छाविस्तुपा के स्वंवर्ग के घरार पुस्त
एवं अनुपालनार्थ।

१०८५
राज्यव्यवस्थानिधि बा०
सोलग